भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1147
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

1147 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक स्तर के कितने पद संस्वीकृत हैं;
(ख) उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पदों पर गेस्ट टीचर नियुक्त किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने की क्या कार्ययोजना बनाई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों, संविधि, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18951 संस्वीकृत शिक्षण पद हैं। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई विद्यार्थी संख्या की वजह से अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं; इन पदों को भरने का दायित्व केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) पर होता है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 8150 से अधिक शिक्षण पद भरे गए हैं, जिनमें 1112 अनुसूचित जाति, 544 अनुसूचित जनजाति और 1867 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद शामिल हैं।

*****